

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

सु.नं. 7/2018

निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- हाका काठ जगदीश

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सर्व कावाट ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 448 रकबा 4-10 बीघा किरम काठनीकोट

बारे ग्राम काठनीकोट पर जगदीश पुत्र रतीराज

जाति लोहा निवासी काठनीकोट तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2074 रबी/खरीफ में फसल बाहो कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी रबी आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी जगदीश पुत्र रतीराज

जाति लोहा निवासी काठनीकोट को आ. ख. नं. 448
673

रकबा 4-10 बीघा वारे ग्राम काठनीकोट से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 1013/- (अक्षरे

रूपेय एक हजार तेरह रु.) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक् से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

श्रुते इजलास पढकर सुनाया गया।

1013-6
मान राशि का अक्षर
रजिस्टर के पृष्ठ का
की भूमि हों ...
दिनांक 25/11/18
इहो पत्रावली दाखिल
तहसील बाड़ी

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज